राज भवन, लखनऊ

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई–8006 / 2023 दिनांक : नवम्बर 22, 2023

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ0प्र0), जो कि डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 (संख्या 1 सन् 2009) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति, उक्त अधिनियम की धारा–27 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाध्यक्ष के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 70 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ–साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक **15.12.2023** तक केवल **ऑन लाइन (On Line)** प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

RAJ BHAVAN, LUCKNOW.

NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR DR. SHAKUNTALA MISRA NATIONAL REHABILITATION UNIVERSITY, LUCKNOW (U.P.)

Advt. No. : E-8006 /2023 Dated : November 22 , 2023

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow (U.P.), established under the Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University Uttar Pradesh Act, 2009 (No. 1 of 2009) by the Visitor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section-27 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 05 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of 70 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The applicant for the post of Vice-Chancellor should send his/her application **Online only** in prescribed format available on the website "**www.upgovernor.gov.in**" on or before **15.12. 2023**.

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

Additional Chief Secretary to the Governor,
Uttar Pradesh.